न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00253 (134/2018) 225 आरटीएक्ट

भीखी पुत्री लालू पत्नी श्री नारायणराम जाति नायक निवासी मल्लड़ खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
–अपीलाण्ट

बनाम

1. लाभ सिंह
2. गुरदर्शन सिंह
3. गुरदीप सिंह
4. हरजीत सिंह

पिसरान जोगेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

5. जसवीर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मल्लड़ खेड़ा तहसील टिब्बी। –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.12.2017 द्वारा सहायक कल्क्टर टिब्बी प्रकरण संख्या 32/2013 बअनवानी भीखी बनाम लाभ सिंह

श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांकः–09.01.2020

1. अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष धारा 251 (क) आरटीएक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि उसके नाम चक 10 एमकेएसए जमाबंदी सम्वत 2066–69 खाता सं0 153 में 4.048 है0 खातेदारी है। उक्त आराजी में आवागमन हेतु उसके पास कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीया चक 10 एमकेएस प0 नं0 184/222 कि0 नं0 16, 17 में चालू रास्ता से आती जाती होने का कथन करते हुए उक्त किला नं. 16 व 17 में 1–1 बिस्वा रास्ता दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम स्वीकृत किये जाने उसके बदले में अपनी भूमि अप्रार्थीगण को देने के का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट/प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर किला नं. 16 व 17 में से रास्ता चालू न दिखा कर प. नं. 184/223 किला नं. 3, 8, 13, 18 में से आवागमन अपीलांटा का बताया गया तथा प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया खारिज करने काकी इस्तदुआ की थी। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा पटवारी की रिपोर्अ ली गई जिसमें भी प. नं. 184/223 किला नं. 13, 18 व 23 में रास्ता चालू होना बताया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने रिपार्ट पटवारी का आधार लेते हुए पूर्व मं प्रार्थीया द्वारा निर्णय दिनांक 04.06.2014 द्वारा रास्ता स्वीकृत करवाया जाना बताते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है। अपीलाण्ट एक हरिजन विधवा औरत जात है जो अनपढ है जिसे कानूनी पेचेदगियो का ज्ञान नही है तथा अपीलाण्ट द्वारा रास्ता के संबंध में दिनांक 04.06.2014 द्वारा निर्णय होने का कोई ज्ञान नहीं है। प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि को कोई रास्ता नहीं लगता तथा अपीलांटा रेस्पो0 की कृषि भूमि में प. नं. 184/222 किला नं. 16, 17 में से आवागमन कर रही है तथा किला नं. 16 व 17 की नजदीकी रास्ता है फिर भी पटवारी हल्का द्वारा एकतरफा तौर पर गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने दिनांक 04.06.2014 के द्वारा ऐसा कोई रास्ता स्वीकृत नहीं करवाया गया है जिससे अपीलाण्ट अपने खेत में आवागमन कर सके। रेस्पोडेण्ट के जवाब प्रार्थना–पत्र व पटवारी रिपोर्ट से ऐसा कोई स्वीकृत रास्ता साबित नहीं हेाता तेा अपीलांटा के खेत में जाता हो। अपीलांटा अनपढ हरिजन विधवा औरत है जिसके खेत में आवागमन के लिए कोई रास्ता मंजूरशुदा नहीं है। अपीलांटा के जवान पौते की कुछ महीने पहले मृत्यु हो गई इसलिए घरेलू परिस्थितियों की वजह से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही हो पाया अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय के बारे में अपीलांटा को कोई सूचना नहीं दी। दिनांक 26.04.2018 को अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय की निर्णय की जानकारी दी और तब निर्णय की नकल प्राप्त करते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 26.06.2013 को यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जबकि अपीलाण्ट ने दिनांक 2014 मं एक अन्य प्रार्थना–पत्र भीखी बनाम तहसीलदार अनतर्गत 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 –ए के तहत पेश कर

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 04.16.2014 के द्वारा अपने खेत में रास्ता स्वीकृत करवाया है। प्रश्गनत आराजी भीखी के एकल खाते में दर्ज है। यह अनुसूचित जाति की जमीन होने से धारा 42 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत रास्ते के बदले अप्रार्थीगण को नही दी जा सकती। वर्तमान में प्रार्थी प. नं. 184/222 किला नं. 16 व 17 की बजाय गुरदीप सिंह की आराजी प. नं. 184/223 किलानं. 13, 18, 23 से अपनी जमीन मे प्रवेश कर रही है। गुरदीपसिंह की जमीन को भी रास्ता नही लगता यदि वर्तमान में चालू रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थिया के साथ साथ गुरदीपसिह को भी रास्ता उपलब्ध हो जायेगा। इसकि अतिरिक्त प. नं. 184/222 के कि. नं. 1 व 20 की आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की है अतः यदि इससे भी प्रार्थिया को रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो यह निकटतम रास्ता होगा व साथ ही भूमि के बदले भूमि दी जा सकेगी। अतः रास्ता केरे रकबे से स्वीकृत न करके वर्तमान चालू रास्ते को स्वीकृत करने की का कथन रेस्पो0 ने किया था। अपीलाट द्वारा चाहा गया रास्ता चालू नहीं है अपीलाण्ट ने पूर्व में ही निर्णय दिनांक 04.062014 के द्वारा रास्ता स्वीकृत करवाया जा चुका है। रास्ते के संबंध में बार बार अनुतोष नहीं मागा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्टा ने अपने खेत में आवागमन हेतु चक 10 एमकेएस प0 नं0 184/222 कि0 नं0 16, 17 में 1–1 बिस्वा रास्ता दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा गया था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया है। रेस्पोडेण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु पूर्व में ही दिनांक 04.06.2014 के द्वारा रास्ता स्वीकृत करवाया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी यही अभिनिर्धारित किया है कि अपीलाण्ट द्वारा अनुतोषित रास्ता माके पर चालू नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का की रिपोर्ट संलग्न है। प्रार्थिया द्वारा पूर्व में निर्णय दिनांक 04.06.2014 द्वारा अपने खेत में रास्ता स्वीकृत करवाया जा चुका है। इस तथ्य की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय में संलग्न सहायक कलक्टर उपखण्ड अध्सिकारी टिब्बी के प्रकरण संख्या भीखी बनाम सरकार में पारित निर्णय 04.06. 2014 की प्रमाणित प्रति से होती है। जिमसें अपीलाण्ट ने अपनी भूमि के लिए रास्ता स्वीकृत करवाया है। । प्रार्थीया द्वारा एक ही अनुतोष की एकाधिक बार

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मांग नहीं कर समती। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रास्ता की अत्यांतिक आवश्यक होने पर ही रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है सुविधा के लिए रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

7. ऐसी स्थिति में जबकि अपीलाण्ट ने अपनी भूमि में आवागमन हेतु पूर्व में ही एक रास्ता स्वीकृत करा रखा है। अब पुनः रास्ता स्वीकृत हेतु आवेदन किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।
8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.12.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक 09.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडीआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.03 13:12:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: